

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान लिखमण राम वनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 116/2025

निर्णय दिनांक ..... 21/07/2025

लिखमण राम पुत्र सोहन लाल जाति जांगिड़ निवासी वार्ड नं. 02 तहसील तारानगर जिला चूरु

प्रार्थी

वनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

--:निर्णय:--


प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा इन्दासी पटवार हल्का करणपुरा तहसील तारानगर के खाता संख्या 123 खसरा सं. 188/19 तादादी 3.7176 हैक्ट. राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त खसराजात की जमाबंदी रोही मौजा इन्दासी पटवार हल्का करणपुरा तहसील तारानगर में भूलवश वर्तमान राजस्व जमाबंदी में प्रार्थी का नाम लक्ष्मणराम दर्ज हो गया, जो गलत है। जिसका पता प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड में से जमाबंदी निकलवाने पर हुआ। जबकि प्रार्थी का अन्य दस्तावेजों जैसे मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड में सही नाम लिखमण राम पुत्र सोहनलाल है। प्रार्थी का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी उक्त कृषिभूमि पर राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान हो रहा है। अब प्रार्थी जमाबंदी में दुरुस्ती करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना-पत्र पेश कर रहा है कि कृषि भूमि रोही मौजा इन्दासी पटवार हल्का करणपुरा तहसील तारानगर के खाता संख्या 123 खसरा सं. 188/19 तादादी 3.7176 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम लिखमण राम पुत्र सोहनलाल किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम लिखमण राम पुत्र सोहनलाल व लक्ष्मणराम पुत्र सोहनलाल दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रार्थी के कथनों का गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम लिखमण राम पुत्र सोहनलाल पाया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम लिखमण राम पुत्र सोहनलाल पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम लक्ष्मणराम पुत्र सोहनलाल अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि इन्दासी पटवार हल्का करणपुरा तहसील तारानगर के खाता संख्या 123 खसरा सं. 188/19 तादादी 3.7176 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम लक्ष्मणराम Delete कर इसके स्थान पर लिखमण राम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... 21/07/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

  
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
तारानगर (चूरु)